

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1984/चैत्र 4, 1906
No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1984/CHAITRA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1984

सं. 79/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 224(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना

सं. 51/70-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में, क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“31. इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल क्रमवीक्षक विश्लेषक ।” ।

[फा. सं. 155/8/81-के.उ.श. 4]

एच. वी. चौहान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1984

NO. 79/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 224(E)---In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 51/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970 namely :

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 30 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“31. Electronic Stencil Scanners.”.

[F. No. 155/8/81-Cx.4]

H. V. CHAUHAN, Under Secy.